संख्या- 3840/11-5-86-18 विवि/78

प्रेषक,

श्री चन्द्र शेखर द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र०,
लखनऊ ।

2- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक मई , 1986

विषय:- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आवास एवं नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या- 2880/37-2-18 विवि/78, दिनांक 16 मई, 1983 में निर्गत आरक्षण संबंधी आदेशों को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों में निम्नांकित वर्गों के लिये उनके सम्मुख अंकित प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा :-

1-	अनुसूचित जाति एवं जनजाति	----	18
2-	पिछड़ा वर्ग	---	15
3-	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	---	5
4-	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं से संबंधित व्यक्ति जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं ।	---	5
5-	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी ।	---	5

....2/

संख्या-1382/एम/9 आ-5-94-18 मिस/88
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

प्रेषक,

विजय शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सं 9165 /अ.आ.आ./पी.ए.त./दिनांक 6/12/94

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 23 नवम्बर, 1994

विषय:- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या- 3840/11-5-86-18 मिस/78 दिनांक 4-6-86 में निर्गत आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय/व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में निम्नलिखित आरक्षित वर्गों के लिये उनके सम्मुख अंकित प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा :-

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1	2	3
1-	अनुसूचित जाति	21
2-	अनुसूचित जनजाति	02
3-	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4-	विधायक, सासंद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	05
5-	सरकारी सेवकओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों ।	05

क्रमशः-2/

1	2	3
6-	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7-	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	03
8-	समाज के विकलांग व्यक्ति	01

2- उक्त आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों की विक्रित दरों में किसी प्रकार की कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी ।

3- जहां तक अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य है, इनकी सूची उत्तर प्रदेश ‡अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ‡ अधिनियम, 1994 ‡ अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है । इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।

4- इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आरक्षित वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या, उनके लिये आरक्षित भवनों/भूखण्डों की संख्या से कम होती है, तो ऐसी आरक्षित सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जायेगा ।

5- उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें ।

भवदीय,

‡ विजय शर्मा ‡
सचिव ।

परिशिष्ट-एक

संख्या: 2680/9-आ-1-98-42विविध/96

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश ।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 1998

आवास अनुभाग-1

विषय:-- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त शासनादेश संख्या: 1380सी.एम./9-आ-1-98-10मिस/88 दिनांक 23 नवम्बर, 1994 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों/भवनों के आवंटन में [illegible]

क्रमांक	वर्ग	
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जन जाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक, सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों ।	05

क्रमश:

1.	2.	3.
6.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	01
	कुल आरक्षण	66

विकलांग व्यक्ति भारत सरकार के द्वारा जारी निशक्त जन §समान अवसर, अधिकार, संरक्ष तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम-1995 के अंतर्गत समाज के विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण अपेक्षित है । इसी प्रकार सभी सरकारी गरीबी उप शमन कार्यक्रमों में भी 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उक्त को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 3 प्रतिशत कर दी जाय परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में 3 प्रतिशत होगा । यह आरक्षण उसी श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध होगा । सामान्य श्रेणी में भी 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध होगा । उदाहरण स्वरूप यदि विकलांग व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 3 प्रतिशत का आरक्षण अनुसूचित जाति के विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा । इस प्रकार यह आरक्षण "हारिजान्टल" §Horizontal§ होगा ।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का [illegible]

[illegible]

भवदीय,

२०६६

§ रामवृक्ष प्रसाद §

संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

श्री अमिताभ त्रिपाठी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

लखनऊ दिनांक 9/11/2001

विषय- विकलांग आवंटियों को भूमि/ भवन क्रय में 20% छूट के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल लखनऊ के पत्र दिनांक 18.10.2001 तथा उसके संलग्नकों की प्रति आपको नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक- उपर्युक्तानुसार ।

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
अनु सचिव

संख्या- (1)/9-आ-2-2001 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, महासचिव राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा उ०प्र० लखनऊ 42/22 साकेत पल्ली नरही लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(अमिताभ त्रिपाठी)
अनु सचिव

7

संख्या-1967/9-आ-1-2001-6 रिट/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक- 27 अप्रैल, 2001

विषय :- समाज के विकलांग व्यक्तियों को रियायती दरपर भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-43 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को आवास, व्यवसाय, मनोरंजन, विश्वविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र तथा उद्योग केन्द्र आदि लगाने हेतु मान्यता के आधार रियायती दर पर भूमि आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में एक योजना बनाये जाने की अपेक्षा की गई है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्रि परिषद की एक उप समिति का गठन किया गया था। उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर माननीय मंत्रि परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों में एक निर्णय यह भी था कि विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन आवंटन करने के सम्बन्ध में योजना बनाकर कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ में विचाराधीन याचिका संख्या-361 (एम0बी0)/2000 राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक-28.1.2000 द्वारा राज्य सरकार को एक योजना तैयार करने के आदेश दिये गये थे। उक्त योजना को समुचित रूप से तैयार करने हेतु आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसकी संस्तुति के आधार पर

क्रमशः 2

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिए गए हैं :--

(1) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन/भूखण्डों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों को 3% का आरक्षण प्रदान किया जायेगा जो होरिजेन्टल प्रकृति का होगा । इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2680/9-आ-1-98-42विविध/96, दिनांक-31.8.1998 द्वारा पूर्व में विकलांग व्यक्तियों के लिये 1% का वर्टिकल आरक्षण एवं 3% का होरिजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गई है । तदनुसार उक्त शासनादेश में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है ।

(2) दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) एवं अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) के सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को भवन/भूखण्ड के मूल्य में 10% एवं गम्भीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20% की रियायत प्रदान की जायेगी । दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के वर्गीकरण हेतु आमदनी की सीमा सामान्य से 1.5 गुना होगी । अर्थात यदि दुर्बल आय वर्ग की सामान्य आय सीमा रू0-1200.00 प्रतिमाह है तो इस प्रयोजन हेतु वह सीमा रू0-1800.00 प्रतिमाह होगी ।

(3) निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा-43 के विकलांगों के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु रियायती दर पर भूमि के आवंटन की अपेक्षा की गई है :--

1.- व्यापार/उद्योग की स्थापना ।
2.- विशेष मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना ।
3.- विशेष विद्यालयों/पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना ।
4 - अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना ।
5 - विकलांग उद्यमियों द्वारा कारखानों की स्थापना ।
6.- पुनर्वास, गतिशीलता, सहायतात्मक युक्तियों के लिए कार्यशालाओं की स्थापना ।

उपरोक्त प्रयोजनों हेतु अर्ह संस्थाओं को भूखण्डों के आवंटन में ~~विशिष्टता प्रदान~~ करते हुए सेक्टर दर के 50% मूल्य पर निम्नलिखित शर्तों के साथ आवंटन किया जायेगा :---

1- केवल वही संस्थायें अर्ह होंगी जो निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा-52

क्रमशः 3 पर

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत हों । वित्तीय रियायत केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध होगी जिनके कार्यों के लाभार्थी शत-प्रतिशत विकलांग व्यक्ति ही हों ।

(2)- कोई भी भूखण्ड एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल का नहीं होगा ।

3- ऐसी सम्पत्तियां केवल लीज पर दी जायेंगी और उन्हें फ्री-होल्ड नहीं किया जायेगा क्योंकि आवंटन विशिष्ट प्रयोजन हेतु रियायती दर पर किया जा रहा है ।

4- अधिनियम की धारा-52 के अंतर्गत पंजीकरण समाप्त होने अथवा निरस्त किए जाने की स्थिति में लीज स्वतः समाप्त मानी जायेगी और ऐसी स्थिति से तीन महीने की अवधि में भूमि रिक्त अवस्था में प्राधिकरण को वापस कर दी जायेगी अन्यथा प्राधिकरण उस पर स्वयं कब्जा करने के लिए अधिकृत होगा ।

उपरोक्त संस्थाओं को भूखण्ड आवंटित करने के लिए निम्न प्रक्रिया/व्यवस्था निर्धारित की जाती है :---

(1)- प्रत्येक आवासीय योजना के "इन्स्टीट्यूशनल" एरिया में 3% भूमि भूखण्ड के रूप में ऐसी संस्थाओं को आवंटन हेतु आरक्षित की जायेगी ।

(2)- उपलब्ध भूखण्ड के आवंटन हेतु सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जायेंगे । प्राप्त आवेदनों में अर्ह संस्थाओं को छांटने के उपरान्त उनका चयन प्राधिकरण/परिषद द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें अन्य सदस्यों के अतिरिक्त अधिनियम की धारा-60 में नियुक्त आयुक्त अथवा उनका नामित व्यक्ति अवश्य सम्मिलित होगा ।

(4) उपर्युक्त आवंटन के फलस्वरूप आने वाले व्ययभार का वित्त पोषण "क्रास-सब्सिडी" के माध्यम से किया जायेगा, जो पूरी योजना पर डाला जायेगा । इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं में भूमि/भवन के विक्रय मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाय और उक्त रियायत को विक्रय हेतु उपलब्ध शेष भूमि/भवन पर भारित किया जाय । उदाहरणस्वरूप 3% आरक्षण इस श्रेणी के लिए उपलब्ध होगा तो भूमि की कास्टिंग में 3% मूल्य इस रियायत हेतु भारित

क्रमशः 4 पर

किया जायेगा । क्रास सब्सिडी का भार सीमा में रहे, इसलिए प्रश्नगत वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जा सकेगा जहाँ पर 50% से अधिक विक्रयशी भूमि निस्तारण हेतु अभी शेष है । इसलिए ऐसी ही योजनाओं में उपरोक्त व्यवस्थायें लागू होंगी । प्राधिकरण/परिषद तत्काल अपनी योजनाओं की इस दृष्टि से समीक्षा कर लें तथा सूची तैयार करें कि किन-किन योजनाओं में व्यक्तिगत आरक्षण एवं किन योजनाओं में संस्थागत आरक्षण उपलब्ध होगा ।

अतः कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह०

ः अतुल कुमार गुप्ता ः
सचिव।

संख्या-1967 ः1ः/9-आ-1-01, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,

ह०

ः अमिताभ त्रिपाठी ः
अनु सचिव।

संख्या: २०८/६५-३-२००४

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
सचिव,
उ०प्र०शासन

सेवा में,

आयुक्त,
आवास विकास परिषद,
लखनऊ।

विकलांग कल्याण अनुभग-३

लखनऊ:दिनांक: ०६ अप्रैल, २००४

विषय:आवासीय भूखण्डों/भवनों के आवंटन में नेत्रहीनों को स्वीकृत आरक्षण प्रदान न किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आवास विकास परिषद के आवासीय भूखण्डों/भवनों के आवंटन में दृष्टिहीनों को अनुमन्य आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में हुई दूरभाषीय वार्ता का संदर्भ लेने का कष्ट करें। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (शाखा-उ०प्र०) द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आवास विकास परिषद द्वारा विकलांगजन के लिए अनुमन्य ३% आरक्षण में १:१:१ का आवंटन दृष्टिहीन-मूकबधिर-शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नहीं किया जा रहा है तथा इन श्रेणियों के लिए अलग लाटरी का प्राविधान भी नहीं किया जा रहा है।

निवेदन है कि कृपया इस सम्बन्ध में यथोचित निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि तीनों श्रेणी के विकलांगजन को इस सुविधा का लाभ मिल सके तथा यह भी सुनिश्चित कराने की कृपा करें कि हर वर्ग की लाटरी अलग निकाली जाये ताकि उस वर्ग के विकलांगजन की प्रतिस्पर्धा उसी श्रेणी के विकलांगजन तक ही सीमित रहे।

भवदीय,

प्रतिलिपि श्री एस०के० सिंह,अध्यक्ष,राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ(शाखा-उ०प्र०), ए-७४, दारूलशफा, लालबाग, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक ०१-४-२००४ के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(रोहित नन्दन)
सचिव।

संख्या : 786 / आठ--1--08--25विविध / 07

प्रेषक,

आर.के.सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग--1 लखनऊ : दिनांक : 30 जनवरी, 2008

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 1967 / 9--आ--1--01--6रिट / 2000, दिनॉक 27.04.01 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2-- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2002--03 में दृष्टिहीन संघ की मॉगों पर की गयी घोषणाओं / आश्वासनों आदि की समयबद्ध ढंग से पूर्ति किये जाने हेतु मा. अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जा रही आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों में विकलांगजन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 3 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया जाये तथा विकलांगजन अधिनियम, 1995 की धारा--43 के अनुसार आवश्यक रियायतें दी जायें।

3-- इस संबंध में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनॉक 27.04.01 के कम में, सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि व्यवसायिक तथा समस्त आवासीय भवनों / भूखण्डों पर सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को 10 प्रतिशत तथा गम्भीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाये। उपर्युक्त रियायत के फलस्वरूप आने वाले व्यय भार का वित्त पोषण पूर्व व्यवस्था की भॉति 'कास सब्सिडी' के माध्यम से किया जायेगा, जो सम्पूर्ण योजना पर डाला जायेगा। कास सब्सिडी का भार सीमा में रहे, अतः प्रश्नगत वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जायेगा, जहॉ 50 प्रतिशत से अधिक विकयशील भूमि निस्तारण हेतु अभी शेष हो।

4-- संदर्भित शासनादेश दिनॉक 27.04.01 में की गयी व्यवस्थाओं को पुनः स्पष्ट करते हुए निदेशित किया जाता है कि विकलांग आवेदकों को उपलब्ध 3 प्रतिशत

का हॉरिजेण्टल आरक्षण प्रत्येक श्रेणी (ई.डब्लू.एस., एल.आई.जी., एम.आई.जी. एवं एच.आई.जी. तथा व्यवसायिक) के भवनों/भूखण्डों पर लागू है।

5— संदर्भित शासनादेश दिनॉक 27.04.01, उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है, उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्थाएँ यथावत् प्रभावी रहेंगी।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
विशेष सचिव

संख्या : 786(1)/आठ–1–08, तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आर.के. सिंह)
विशेष सचिव

153

संख्या–1900/आठ–1–09–25विविध/07

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

1165 16.7.09

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2009

विषयः– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–786/आठ–1–08–25विविध/07, दिनांक 30.01.2008 द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिए जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 में यह व्यवस्था की गई है कि व्यावसायिक तथा समस्त आवासीय भवनों/भूखण्डों पर सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को 10 प्रतिशत तथा गम्भीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाए तथा उक्त रियायत के फलस्वरूप आने वाले व्यय भार का वित्त पोषण पूर्व व्यवस्था की भाँति "कास–सब्सिडी" के माध्यम से किया जाएगा, जो सम्पूर्ण योजना पर डाला जायेगा। कास–सब्सिडी का भार सीमा में रहे, अतः प्रश्नगत वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जायेगा, जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु उपलब्ध हो। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह पाया गया कि जिन योजनाओं में 50 प्रतिशत से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु शेष नहीं है, उन योजनाओं में विकलांगजनों को उक्त आरक्षण एवं मूल्य में रियायत का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सचिव

15.7.09

कृपया प्रकरण की परीक्षण कर पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

2— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवंटी विकलांगजनों को उपरोक्त छूट देते हुए क्रास—सब्सिडी की धनराशि को उसी योजना में अवशेष अनिस्तारित सम्पत्तियों पर भारित किया जायेगा। यदि उस योजना में विक्रयशील परिसम्पत्तियाँ अवशेष नहीं रह गई हों, तो अन्य योजनाओं, जहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में भूमि/सम्पत्तियाँ निस्तारण हेतु शेष हों, उन पर भारित किया जाए। जहाँ तक अन्य श्रेणी के भवन/भूखण्डों को विकलांगजन आवंटियों को उल्लिखित छूट देने का प्रश्न है, परिषद/विकास प्राधिकरण की नयी योजनाओं में सभी वर्ग के विकलांगजन आवंटियों को दी जाने वाली रियायत की धनराशि को "क्रास—सब्सिडी" के माध्यम से भारित किया जायेगा।

3— कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें।

भवदीय,

3/7/09

(एच0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक(अनुश्रवण) आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त सबंधितों को सूचित करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

Date.......

संख्या : 55 /आठ–1–18–185विविध / 2010

10280

प्रेषक,

अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

... अनुभाग
डायरी सं० 188-2...
दिनांक 22-5-2018

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. अध्यक्ष / जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2680 / 9–आ–1– 98–42विविध / 96, दिनांक 31 अगस्त, 1998 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निशक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम–1995 में विहीत व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के प्रस्तर–7 में की गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 31 अगस्त, 1998 में दिव्यांगजन हेतु 03 प्रतिशत किये गये क्षैतिज आरक्षण को संशोधित करते हुए 05 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार दिव्यांगजन हेतु की गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

DHC (सम्पत्ति)
DHC (क०जोन)

भवदीय,

(अमिताभ प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।

अपर आवास आयुक्त
22/05/18

(लक्ष्मण प्रसाद)
उप आवास आयुक्त
22/05/18

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।